

Most Urgent

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. Presiding Officer Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ambala, Panipat, Rohtak, Faridabad-I/II/III, Gurgaon-I/II and Hissar.
2. Addl. Labour Commissioner, (NCR) Gurgaon.
3. Dy. Labour Commissioner, Panipat, Panchkula, Faridabad, Gurgaon-I&II, Hissar and Rohtak.
4. Dy. Director(IS&H) Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon-I and Hissar.
5. Assistant Labour Commissioner, Ambala, Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Rewari, Sonapat-I, Bahadurgarh, Bhiwani, Sirsa, Palwal, Kaithal, Jind and Mewat.
6. Assistant Director, (Industrial Safety and Health), Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Mewat, Rewari, Sonapat-I, Rohtak, Bhiwani & Sirsa
7. Dy. Director (Industrial Health), Faridabad and Gurgaon-II
8. AD(IH cum C.S), Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon and Hissar.
9. Accounts branch for uploading on department site.

क्रमांक:- 4087-4138

दिनांक:- 13/02/2020

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-60 उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आप से पुनः अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी चतुर्थ के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या तथा सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह) के हिसाब से जो कर्मचारी 31.01.2019 से पहले सेवा में हैं उनकी समेकित सूचना (अगस्त 2019 से दिसम्बर 2019 तक) मासिक तौर पर संलग्न प्रफार्मा में तथा उपरोक्त दिये गये हेड में Contingency Bill के द्वारा राशि Book Transfer के माध्यम से उक्त हेड, एवं सरकारी खजाने में जमा करवाकर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार मुख्यालय सूचना में शीघ्र अति शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। विभाग की ई-मेल acclabour16@gmail.com पर तुरंत भिजवाने का कष्ट करें। अगर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गई तो लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्न:-1. (उपरोक्त प्रफार्मा)

2. Sample contingency bill has been sent on Department site.


लेखा अधिकारी
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

Name of Department –

Sr. No.	Month/Year	Total number of Government Class IV employees (H.O. & Field Consolidated)	Total amount of Book Transfer per month (under Major Head 2235 of GIS)	Remarks

Note: Please give specific reason, why the deduction is not being done properly.